

प्ररूप

[नियम 4(4), 5(4) और 8 देखें]

(प्ररूप के साथ उल्लंघन ज्ञापन की प्रति यदि कोई हो, संलग्न होगी)

1. आवेदक का नाम  
(बड़े अक्षरों में)
2. आवेदक का विवरण  
(क) पूरा पता  
(ख) फोन नंबर:  
(ग) ई-मेल आईडी:

(यदि आवेदक व्यक्ति के अलावा कोई अन्य व्यक्ति है, तो आवेदक का नाम, पता, फोन नंबर, ईमेल आईडी और पदनामप्रदान करें)

(घ) आयकर पैन:

(ङ) ईसीएस अधिदेश :

(i) पार्टी का नाम (लाभार्थी) -	
(ii) पैन -	
(iii) बैंक खाते का विवरण-	
क. बैंक का नाम	
ख. शाखा का नाम	
पता:	
टेलीफोन नंबर:	
ग. खाते का प्रकार -	बचत <input type="checkbox"/> चालू <input type="checkbox"/>
घ. खाता संख्या: -	(जैसा चेकबुक पर दिखाई दे रहा है)
ङ. 9 अंकीय एमआईसीआर कोड संख्या:	(जैसा चेकबुक पर दिखाई दे रहा है)
च. आईएफएससी कोड	(जैसा चेकबुक पर दिखाई दे रहा है)

(iv). संलग्नक के लिए चेक लिस्ट (कृपया टिक करें)

पैन कार्ड की फोटोकॉपी



रद्द बैंक चेक की फोटोकॉपी



(v) मैं/हम घोषणा करते हैं कि ऊपर दी गई विशिष्टियाँ सही और पणू है । यदि संव्यवहार अपूर्ण या गलत जानकारी के सही न होने के कारण से विलंबित या अप्रभावी होता है, मैं/ हम उपभोक्ता संस्था को उत्तरदायी नहीं ठहराएँगे ।

तारीख :

प्राधिकृत हस्ताक्षरी के हस्ताक्षर

स्थान :

(प्राधिकृत हस्ताक्षरी का नाम)

शासकीय स्ट्रांप

(च) माल और सेवा कर पहचान संख्यांक :

3. क्या आवेदक भारत का निवासी या भारत के बाहर का निवासी है (कृपया अधिनियम की धारा 2 (V) म देखें)

4. क्या विदेशी मुद्रा प्रबंधन (न्यायनिर्णयन कार्यवाही और अपील) नियम 2000 के नियम 4 के अधीन कोई सूचना जारी की गई है : हां/नहीं

यदि हां, तब निम्नलिखित ब्यौरे प्रस्तुत करें :

(क) न्यायनिर्णयक प्राधिकारी का नाम, यदि कोई हो :

(ख) सूचना जारी करने की तारीख (सूचना की प्रति संलग्न करें) :

(ग) क्या सूचना में उल्लेख है कि उल्लंघन को अधिनियम की धारा 37क, या धारा 3 के खंड (क) में अंतवृष्टि उपबंधों को लागू होती है ? हां/नहीं

(घ) क्या न्यायनिर्णयन आदेश न्यायनिर्णयक प्राधिकारी द्वारा पहले ही पारित किया गया है? हां/नहीं

5. उल्लंघन के विशेष ब्यौरे (अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (1) के अनुसार) :

(क) अधिनियम:

(ख) नियम:

(ग) विनियम:

(घ) अधिसूचना:

(ङ) अधिनियम के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किया गया आदेश :

(च) वह शर्तें जिसके अधीन रिजर्व बैंक द्वारा प्राधिकृत करना जारी किया गया था:

6. क्या इन नियमों के अधीन शमन करने के लिए आवेदक द्वारा पूर्व में प्रस्तुत आवेदन के वीरुध शमन आदेश पारित किया गया था? हां/नहीं

यदि हां, कृपया पूर्ववर्ती शमन आदेश के विषय में निम्नलिखित ब्यौरे प्रस्तुत करें :

(क) शमन के लिए आवेदन की तारीख :

(ख) ऐसे उल्लंघन जिनका शमन किए जाने की ईप्सा की गई थी :

(ग) शमन आदेश की तारीख :

(घ) रिजर्व बैंक द्वारा अधिरोपित रकम के संदाय पर जारी किए गए प्रमाणपत्र की तारीख :

7. मामले के संक्षिप्त तथ्य :

8. शमन के आवेदन के लिए फीस के ब्यौरे :

9. प्रवर्तन निदेशालय के अन्वेषण पर वचनबद्ध :

मैं/हम यह और वचन देते हैं कि नियम 4 में विहित शमन प्राधिकारी को लिखित में तुरंत सूचित करेंगे यदि प्रवर्तन निदेशालय द्वारा मेरे/हमारे विरुद्ध कोई अन्वेषण कार्यवाही आरंभ की जाती है या न्यायनिर्णयक प्राधिकारी द्वारा तत्पश्चात किसी भी समय, कींतु मेरे/हमारे द्वारा फाईल किए गए शमन के संबंध में शमन आदेश जारी होने की तारीख को या उससे पूर्व न्यायनिर्णयन आदेश पारित किया जाता है ।

10. मामले से सुसंगत कोई अन्य जानकारी :

मैं/हम घोषणा करते हैं ऊपर दी गई विशिष्टियां मरीं/हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही हैं और मैं/हम मेरे/हमारे मामले के शमन के संबंध में शमन प्राधिकारी के किसी निदेश/आदेश को स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ / हैं ।

तारीख :

(आवेदक के हस्ताक्षर)